

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/बी०डी०एस०-04/2025-830(2)/स्वा०

पटना, दिनांक 20/4/2026

डा० संजय कुमार सिंह, तत्कालीन दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, भोजपुर सम्प्रति अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना के दिनांक-17.06.2022 से 27.12.2024 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1818(25) दिनांक-28.08.2025 तथा बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 180 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-17.06.2022 से 08.07.2022 तक	-	कुल-22 (बाईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-09.07.2022 से 27.12.2024 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Walmank 16/4/26  
(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/बी०डी०एस०-04/2025-830(2) पटना, दिनांक 20/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना /कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० संजय कुमार सिंह, तत्कालीन दंत चिकित्सक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Walmank 16/4/26  
सरकार के उप सचिव।